निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 97/2021
दायरा दिनांकः–12.11.2021
निर्णय दिनांकः– 5.8.24

उनवान

1. गंगाराम आयु 55 वर्ष पुत्र लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
2. अमरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
3. नन्नुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
4. नाथुलाल आयु 28 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
5. भगवती बाई आयु 30 वर्ष पुत्री दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
6. खेमी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. दौलतराम आयु 68 वर्ष पुत्र लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
2. हरदयाल आयु 40 वर्ष पुत्र चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
3. कल्लु पुत्र चतरा (मृतक)

3./1 नीरज आयु 7 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व0 कल्लु नाबालिग जर्ये वली सरपरस्ती माता कल्लीबाई पत्नि कल्लु जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

3./2 कल्ली बाई आयु 44 वर्ष कल्लु जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

4. नारायण पुत्र चतरा (मृतक)

4./1 हेमराज आयु 5 वर्ष नाबालिग पुत्र नारायण

4./2 गिर्राज आयु 4 वर्ष पुत्र नाबालिग पुत्र नारायण नाबालिगान जर्ये वली सरपरस्ती माता स्वंय हीराबाई पत्नि स्व0 नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

4./3 हीरा बाई 30 वर्ष पत्नि स्व नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

5. जमनाबाई आयु 32 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
6. तुलसी बाई आयु 30 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
7. कमला बाई आयु 28 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
8. गोरा बाई आयु 60 वर्ष पत्नि चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 5.8.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भॅवरसिंह जादौन – वादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 69 की खसरा नम्बर 74 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 84 रकबा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 85 की रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 90 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 92 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 94 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 110 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 113 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 114 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 12 की रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है जो दर्ज जमाबन्दी चली आ रही है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी तथा वादी क्रम 2 ता 6 का हिस्सा 1/4 – 1/4 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी क्रम 3/1 ता 3/2 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 4/1 ता 4/3 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 5 ता 8 का हिस्सा 1/4 स्थित है जो दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। वादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 1 की मॉ व वादी क्रम 2 ता 6 की दादी व प्रतिवादी क्रम 8 की सास हीराबाई की पत्नि स्व0 लाला की मृत्यु अर्सा लगभग 25–30 वर्ष पूर्व ग्राम रंगपुरा में हो चुकी है तथा उनके वारिसान के नाम पहले से खाते में दर्ज है तथा उनके अलावा उनके अन्य वारिसान व कायम मुकामान नही है इस कारण उनका नाम (हीराबाई) खाते में से खारिज किया जावें। सहखातेदार चतरा के पुत्र कल्लु की मृत्यु 5–6 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा प्रतिवादी क्रम 3/1 ता 3/2 उसके वारिसान एवं कायम मुकामान है व नारायण पुत्र व नारायण पुत्र चतरू की मृत्यु 4–5 वर्ष पूर्व हो चुकी जिनके वारिसान तथा कायम मुकामान 4/1 ता 4/3 है जिनको इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है इनके अलावा मृतक कल्लु व मृतक नारायण के अन्य कोई वारिसान एवं कायम मुकामान नही है। जिनका नाम मृतक कल्लु की जगह प्रतिवादी क्रम 3/2 नीरज नाबालिग पुत्र कल्लु व कल्लीबाई पत्नि स्व0 कल्लु व नारायण की जगह प्रतिवादी क्रम 4/1 ता 4/3 हेमराज नाबालिग गिर्राज नाबालिग पुत्रगण नारायण व हीराबाई पत्नि नारायण का नाम खाते में दर्ज किया जावें। वाद मत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादीगण अर्सा 40–50 वर्ष पूर्व से (पूर्वजों) के काल से आपसी सहमति से बंटवारा हो रहा है जिसके अनुसार सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से बिना किसी बांधा व व्यवधान के शांति पूर्वक वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपने– अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य भूमियों कम–ज्यादा के हिसाब से काश्त करने एवं लगान इत्यादि जमा करने आपस में लडाई–झगडा होते रहतें है जिसमें वादीगण निजात पाना चाहते है और वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का विभाजन करवाकर विभाजन शुदा भूमि का विभाजन करवाकर विभाजित शुदा हिस्से 1/4 – 1/4 को वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 ता 6 पृथक–पृथक खाते दर्ज करवाकर अपने–अपने हिस्से की भूमियों को सिंचाई स्त्रोत बढाकर मेंडबंधी तारफैसिंग कर अधिक उपजाउ व प्रगातिशील काश्त करना चाहतें है। वादीगण ने उक्त उद्धेश्य की पूर्ति में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 से कई मर्तबा वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियां का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के हिसाब से विभाजित कर वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 ता 6 ने हिस्से 1/4 भाग को अपने–अपने नाम पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने का कई बार अनुरोध किया किनतु प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 टालमटोल करते रहे और अन्त में दिनांक 20.10.2021 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने उक्त भूमियों का विभाजन के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने से इंनकार कर दिया और वादीगण के हिस्से की भूमियों पर जबरन ताकत के बल पर बगैर किसी वैधानिक एवं कानूनी अधिकार के अधिपत्य कर लिया तथा वादीगण के मना करने पर वह वादीगण से लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गए यही दिनांक 20.10.2021वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादीगण जिस भूमि पर काबिज है जिस पर वह शांति पूर्वक वह कब्जा काश्त करते चले आ रहे है उस पर प्रतिवादीगण 1 ता 8 अवैध रूप से बांधा व व्यवधान उत्पन्न कर उन्हे शांति पूर्वक कब्जा काश्त नही करने दे रहे है और जबरन बलपूर्वक उक्त भूमि को छुडाना चाहतें है इसलिए वादीगण उक्त विवादित आराजी में उनके हिस्से की भूमि पर उनके शांति पूर्वक कब्जा काश्त में बाधां उत्पन्न ना करने बाबत् प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वैधानिक अधिकारी है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। वादी क्रम 1 व 2 ता 7 का हिस्सा वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों में 1/4 होने के कारण वादीगण भूमियों का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के हिसाब से कराकर विभाजित शुदा भूमियात में अपने हिस्से 1/4 – 1/4 भग को अपने–अपने नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने एवं विभाजन के अनुसार नक्शा तरमीम कराने के वैधानिक एवं कानूनी अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 12.01.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 69 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 गंगाराम PW2 गजेन्द्र का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। हीरा बाई की मृत्यु लगभग 25–30 वर्ष पूर्व ग्राम रंगपुरा में हो गई थी हीराबाई के वारिसान के नाम खाते में दर्ज है उनके अलावा कोई अन्य वारिस नही है उसका नाम खाते से खारिज किया जावे। विवादित आराजी का वादीगण के मध्य 40–50 वर्ष पूर्व से पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से बटवारा हो रहा है जिसके अनुसार सभी सहखातेदार काश्त करते चले आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कम व अधिक होने के हिसाब से काश्त करने व लगान जमा कराने पर आपस में विवाद बना रहता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से एवं कब्जे के आधार पर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के हिसाब से पृथक–पृथक विभाजन कर अलग खाते दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 69 में वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जमाबन्दी रिकार्ड के अनुसार वादी गंगाराम का 1/5 हिस्सा तथा वादी क्रम 2 ता 6 का हिस्सा 1/5 दर्ज है धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद पत्र में जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड के आधार पर ही विभाजन का दावा लाया जा सकता है। वादी द्वारा धारा 53 में दावे के मारफत मृतक हीरा बाई का नाम खारिज करवाने का अनुतोष धारा 53 के तहत नही दिया जा सकता है। इससे सह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य शामलाती खातेदारी में हिस्से अनुसार दर्ज है वादीगण विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपना जवाब पेश नही किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 74 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 84 रकबा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 85 की रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 90 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 92 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 94 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 110 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 113 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 114 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 12 की रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी कब्जे को ध्यान में रखतें हुए पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

संख्या 97/2021	धारा 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 05.08.2024

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री भँवरसिंह जादौन –वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

उनवान

1. गंगाराम आयु 55 वर्ष पुत्र लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
2. अमरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
3. नन्नुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
4. नाथुलाल आयु 28 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
5. भगवती बाई आयु 30 वर्ष पुत्री दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
6. खेमी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

बनाम

1. दौलतराम आयु 68 वर्ष पुत्र लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
2. हरदयाल आयु 40 वर्ष पुत्र चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
3. कल्लु पुत्र चतरा (मृतक)

3./1 नीरज आयु 7 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व0 कल्लु नाबालिग जर्ये वली सरपरस्ती माता कल्लीबाई पत्नि कल्लु जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

3./2 कल्ली बाई आयु 44 वर्ष कल्लु जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

4. नारायण पुत्र चतरा (मृतक)

4./1 हेमराज आयु 5 वर्ष नाबालिग पुत्र नारायण

4./2 गिर्राज आयु 4 वर्ष पुत्र नाबालिग पुत्र नारायण नाबालिगान जर्ये वली सरपरस्ती माता स्वंय हीराबाई पत्नि स्व0 नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

4./3 हीरा बाई 30 वर्ष पत्नि स्व नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

5. जमनाबाई आयु 32 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
6. तुलसी बाई आयु 30 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
7. कमला बाई आयु 28 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
8. गोरा बाई आयु 60 वर्ष पत्नि चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा तहसील छबडा जिला बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 74 रकवा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकवा 01 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 83 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 84 रकवा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 85 की रकवा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 90 रकवा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 92 रकवा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 94 रकवा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 110 रकवा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 113 रकवा 09 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 114 रकवा 01 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 128 रकवा 11 बिस्वा कुल किता 12 की रकवा 15 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी कब्जे को ध्यान में रखतें हुए पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 05.08.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

अन्तिम डिक्री

संख्या 97/2021	धारा अन्तर्गत 53 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 15.01.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री भँवरसिंह जादोन	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. गंगाराम आयु 55 वर्ष पुत्र लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
2. अमरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
3. नन्नुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
4. नाथुलाल आयु 28 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
5. भगवती बाई आयु 30 वर्ष पुत्री दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
6. खेमी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 दयाराम जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. दौलतराम आयु 68 वर्ष पुत्र लाला जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
2. हरदयाल आयु 40 वर्ष पुत्र चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
3. कल्लु पुत्र चतरा (मृतक)

3./1 नीरज आयु 7 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व0 कल्लु नाबालिग जर्ये वली सरपरस्ती माता कल्लीबाई पत्नि कल्लु जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

3./2 कल्ली बाई आयु 44 वर्ष कल्लु जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

4. नारायण पुत्र चतरा (मृतक)

4./1 हेमराज आयु 5 वर्ष नाबालिग पुत्र नारायण

4./2 गिर्राज आयु 4 वर्ष पुत्र नाबालिग पुत्र नारायण नाबालिगान जर्ये वली सरपरस्ती माता स्वंय हीराबाई पत्नि स्व0 नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

4./3 हीरा बाई 30 वर्ष पत्नि स्व नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा

5. जमनाबाई आयु 32 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
6. तुलसी बाई आयु 30 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
7. कमला बाई आयु 28 वर्ष पुत्री चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा
8. गोरा बाई आयु 60 वर्ष पत्नि चतरा जाति बंजारा निवासी ग्राम रंगपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तह0 छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. अमरलाल पुत्र दयाराम हिस्सा 1/10 जाति बंजारा रहन BOB शाखा खेमी पत्नि दयाराम हिस्सा 1/10 रहन BOB शाखा छबडा नन्नूलाल पुत्र दयाराम हिस्सा 1/10 जाति बंजारा BOB शाखा छबडा नाथुलाल पुत्र दयाराम हिस्सा 1/10 जाति बंजारा रहन BOB शाखा छबडा भगवती बाई पुत्री दयाराम हिस्सा 1/10 जाति बंजारा गंगाराम पुत्र लाला हिस्सा 1/2 जाति बंजारा सा0 भूलोन मजरा रंगपुरा तहसील छबडा	74/1 80/1 83/1 84 85 90/1 113/1 114/1 128/1	0.1012 0.1265 0.1392 0.0126 0.0379 0.0759 0.9002 0.1645 0.0455	0.6253 1.8742 0.6842 0.0300 0.014 0.3719 4.4459 0.60 0.22	
	किता 9	1.6035	8.97	–

उपखण्ड अधि[illegible]
छबड़ा (बारां)

[illegible]बाई पुत्री चतरा हिस्सा 9/90, कल्लीबाई [illegible]स्व0 कल्लु हिस्सा 3/190 नाबा0 कृष्णा पुत्री [illegible]ु संरक्षक कल्ली बाई हिस्सा 3/190 गिर्राज [illegible] नारायण हिस्सा 3/190 जाति बंजारा गोरा बाई पत्नि स्व0 चतरा हिस्सा 9/190 जाति जमना बाई पुत्री चतरा हिस्सा 9/190 तुलसीबाई पुत्री चतरा हिस्सा 9/190 दौलतराम पुत्र लाला हिस्सा 63/190 नाबा0 नीरज पुत्री कल्लु संरक्षक कल्ली बाई हिस्सा 3/190 हेमराज पुत्र नारायण हिस्सा 3/190 हरदयाल पुत्र चतरा हिस्सा 9/190 हीराबाई पत्नि स्व0 नारायण हिस्सा 3/190 हीराबाई पत्नि स्व0 पिता लाला हिस्सा 63/190 जातियान बंजारा रहन SBI शाखा ADB छबडा हिस्सा 63/190	74 80 83 90 92 94 110 113 114 128	0.1011 0.1644 0.0631 0.0506 0.0632 0.0253 0.1012 1.5406 0.2275 0.0683	0.62 2.43 0.06 0.18 0.24 0.55 0.22 0.50 0.06 7.48 0.09 0.70 0.33	
	किता 10	2.4053 है0	13.46	—

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15.01.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		